



ग्रामीण सेवा शिविर-2025 (चौलोक्य)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

Office
2025/802

उपरोक्त प्रकरण - रामनारायण बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 425/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयसंबंधी लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
35/भू.अ./2025 दिनांक 29/11/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम महरोली पटवार महरोली
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमे खाता संख्या 347 में खातेदार भागोती देवी
पति रामनारायण के स्थान पर भागोती देवी अफ. अगवती देवी पति का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का महरोली
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



2025/1802

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी व मूअनि

महोदय,

उपरोक्त विषय में जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

श्रीमान, रिपोर्टर है कि ग्राम महरोली के खाता संख्या 347 के खातेदार श्री भागवती देवी पति रामनारायण जाति खरीक साहेब दर्ज रिकार्ड है। पार्स/खातेदार अपना सही नाम दर्ज के लिए अपने दस्तावेज यथा आधारकार्ड, वोट आईडी कार्ड, राशन कार्ड आदि में सही नाम भागवती देवी, पति रामनारायण पंवार जाति खरीक दर्ज रिकार्ड है। अतः उपरोक्त दस्तावेजों के आधार एवं फोटो प्रमाण रिपोर्ट के आधार पर सही नाम भागवती देवी पति रामनारायण पंवार जाति खरीक साहेब दर्ज किया जाने कि अनुबंधा की जाती है।

23.12.25
महरोली

LR-35

द्वारा - 136

रिपोर्ट / अभिशषा तहसीलदार / नायब तहसीलदार

ह. हल्का पटवारी
23/12/25

29-12-25

मुताबिक फोटो प्रमाण दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवारी तथा मूअनि के अनुसार भुट्टि भि जाने कि अनुबंधा की जाती है।

425
30-12-25

23.12.25
तहसीलदार / नायब तहसीलदार (ह.अ.)
श्रीमधोपुर (सीकर)

आदेश

(कैम्प दिनांक मुख्यालय ग्राम पंचायत)

पटवारी हल्का महरोली व मू.अनि वत महरोली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमधोपुर की अभिशषा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम महरोली के खाता संख्या 347 के दर्ज भागवती देवी पति रामनारायण के स्थान पर भागवती देवी पति रामनारायण पंवार नाम लिखने जाने की वीकृति की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (सीकर)

पालनार्थ:- तहसीलदार / नायब तहसीलदार.....